उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग–2
संख्याः 687/अस्सी–2–2005–200(22)/1998
लखनऊः दिनांक 13 जून, 2005

कार्यालय–ज्ञाप

श्री राज्य पाल सहर्ष उत्तर प्रदेश शासन के अधीन कृषि विपणन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, विभागाध्यक्ष कार्यालय का नाम परिवर्तित करते हुए **"कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय"** निर्धारित करते हैं।

2– कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय पूर्व से आवंटित कार्यो को यथावत् करता रहेगा तथा शासन के सचिव, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा।

3– शासन द्वारा कृषि उपजों/उत्पादों के विदेश व्यापार को बढ़ावा देने, किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य प्राप्त करने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने आदि के उद्देश्य से कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय को निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य आवंटित किये जाते हैं:–

(1) निर्यातकों एवं उत्पादकों को विभिन्न सुविधाओं हेतु समन्वय करना।

(2) कृषि निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यातकों की गोष्ठियां एवं सेमिनार आदि आयोजित कराना।

(3) निर्यात को बढ़ावा देने हेतु फील्ड स्तर पर निर्यात योग्य आधिक्य की सम्भावनाओं का पता लगाना एवं समय–समय पर आने वाली कठिनाईयों को दूर करने हेतु समुचित सुझाव देना।

(4) शासन के कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

4– उपर्युक्तानुसार आवंटित कार्य के निष्पादन हेतु निदेशालय स्तर पर अतिरिक्त पदों का सृजन नहीं किया जायेगा एवं निदेशालय व फील्ड स्तर पर तैनात स्टाफ से ही कार्य लिया जायेगा तथा यथा आवश्यकता रेशनलाईजेशन व रिडिप्लायमन्ट के माध्यम से पुनर्गठन किया जा सकेगा। तकनीकि एवं विशिष्ठ योग्यता वाले अपरिहार्य

गामलों में प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा के आधार पर शासन की पूर्व अनुमति से विशेषज्ञ हायर किये जा सकेंगे।

5– कृपया शासन के इन आदेशों का तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

नवीन चन्द्र बाजपेई
कृषि उत्पादन आयुक्त

संख्या–687(1)/अस्सी–2–2005, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल/मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0।
3– उ0प्र0 के समस्त मा0 मन्त्री/मा0 राज्य मंत्रीगण के निजी सचिव।
4– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5– कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
6– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन।
7– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0।
8– उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
10– समस्त जिला अधिकारी, उ0प्र0।
11– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
12– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 लखनऊ/इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस आदेश की 1000 प्रतियां मुद्रित कराकर शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।
13– स्थानिक आयुक्त, उ0प्र0, 401, अम्बाद्वीप, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।

आज्ञा से,
13-6-2005
(एन0एस0 रवि)
सचिव।